Court of D.A.S.J. - Ist, Sheikhpura

M.T.A-02/2023

05.04.2025 आवेदक एवं विपक्षी की ओर से हाजरी दी गयी।

वाद पुकारा गया। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए।

विपक्षी रजनी रंजन चौधरी के विद्वान अधिवक्ता दिनांक 20.07.2024 के दाखिल आवेदन पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत दाखिल आवेदन को संचालित कर निवेदन किए कि उपरोक्त वाद में दिनांक 07.12.2023 को अपना आपत्ति आवेदन पत्र दाखिल किये थे, जिसमें टंकनीय भूलवश जवाब के शीर्षक भाग में प्रतिदावा शब्द गलत अंकित हो गया है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि दिनांक 07.12.2023 के दाखिल आपत्ति आवेदन पत्र के शीर्षक में प्रतिदावा शब्द की जगह संशोधन करते हुए आपत्ति आवेदन अंकित किये जाने का आदेश करने का कृपा की जाय का निवेदन किये है।

विपक्षी के दाखिल दिनांक 20.07.2024 के आवेदन पर आपीलार्थी का अनापत्ति है।

सुना। देखा। उभयपक्षों के सहमति पर विपक्षी रजनी रंजन चौधरी के विद्वान अधिवक्ता दिनांक 20.07.2024 के दाखिल आवेदन पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत दाखिल आवेदन को न्यायहीत में स्वीकृत किया जाता है, क्योंकि संशोधन औपचारिक प्रकृति का है, जो वाद के प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता है तथा दिनांक 07.12.2023 के दाखिल आपत्ति आवेदन पत्र के शीर्षक में प्रतिदावा शब्द की जगह संशोधन करते हुए आपत्ति आवेदन अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

वाद दिनांक 03.05.25 वास्ते अपीलार्थी के बहस हेतु।

लेखापित

D.A.S.J.-Ist, Skp.